[2020], 7 एस. सी. आर. 1078

प्रवीण कुमार

बनाम

यूनियन आॅफ इंडिया एवं अन्य

(सिविल अ□ील संख्या 6270/2012)

10 सितंबर 2020

मननीय न्यायाधीशगण, एन. वी. रमना एस. अब्दुल नजीर और सूर्या कान्त, सेवा कानून - अ□ीलार्थी, जो कि एक अर्द्धसैनिक आॅफिसर भारत □ट्राॅलियम काॅर□ोरेशन के स्थानीय इकाई में □दस्था□ित, को कर्मचारियों का औचक निरीक्षण तथा कठोर कार्यवाही भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्य सौं□ा गया - भ्रष्टाचार के आरो□ में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निलंबित- प्रथम सूचना रि□ोर्ट केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों में □ंजीकृत - अ□ीलीय प्राधिकार ने अ□ीलार्थी के निलंबन आदेश के खिलाफ अ□ील को खारिज - रिट आवेदन अ□ीलार्थी द्वारा दाखिल -खारिज - अ□ील , धारित की वर्तमान मामला इस प्रकार का नहीं है कि जिसमें कोई साक्ष्य ना हो या इस प्रकार का है जिसमें न्यायालय अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय से भिन्न निर्णय □र □हुंचता हो - अ□ील में निष□क्ष विचारण हुआ - अ□ीलार्थी का यह तथय अ□राधिक विचारण में कोई आरो□ □त्र उनके खिलाफ दाखिल नहीं किया गया है अतः उन्हें अनुशासनिक कार्यवाही से मुक्त किया जाय, को खारिज- नियोक्ता को यह अधिकार है कि अ□ने कर्मचारियों के विरूद्ध स्वतंत्र अनुशासनिक कार्यवाही बिना अ□राधिक विचारण के तथ्यों से प्रभावित होते हुए कर सके, अनुशासनिक प्राधिकार को यह विस्तृत विवेकाधिकार है कि वह उचित और निष□क्ष अनुशासनिक कार्यवाही के □श्चात् उचित दंड दे सके - अ□ीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार सांविरचन धमकी का आरो□ □ूर्णतः साबित जो कि सेवा से निलंबन के दंड के समान अनु□ात में है - सशस्त्र बल - निष□क्ष न्याय का सिद्धांत -समानु□ात का सिद्धांत - भारतीय दंड संहिता 1860 - भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 - सी आई एस एफ नियम 1969 - नियम 34- -29ए तथा नियम 31 ए - अनुसूची 2 भारत का संविधान -अनुच्छेद 14 ।

भारत का संविधान - अनुच्छेद 32, 136 और 226 - न्यायिक □ुनरीक्षण की सीमा - सेवा मामले - धारित, संवैधानिक न्यायालय जब वे न्यायिक □ुनरीक्षण के शक्तियों का प्रयोग करती है तो वे अ□ीलीय प्राधिकार की भूमिका नहीं निभाती है - उनका क्षेत्राधिकार विधि और प्रक्रिया की गलतियों को सुधारने, अन्याय को रोकने तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के उल्लंघन को रोकने तक की □रिसीमित है ।

सेवा कानून - प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत

सेवा कानून - प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत - निमोजूडिक्स इन सुआ काजा - जब तक इसका उल्लंघन ना हो - विवेचना साक्ष्य अधिनियम 1972- धारा 165 ।

सेवा कानून अनुसाशनिक कार्यवाही बनाम आ□राधिक कार्यवाही - सबूत के मानक में अंतर दोनों में - विवेचना ।

न्यायालय द्वारा अ□ील को खारिज करते हुए यह धारित किया गया कि

1. संवैधानिक न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226 या 32 के तहत या अनुच्छेद 136 के अंतर्गत मामलों में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्राधिकार, विभागीय अपील प्राधिकार के अधिकार से भिन्न है। न्यायिक पुनरीक्षण न्याय निर्णयन की प्रक्रिया का मूल्यांकन है ना कि उसके निर्णय के गुण-दोष का न्यायिक पुनरीक्षण निष्पक्षता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को जांचता है। यह विधि और प्रक्रिया की गलतियों जिससे पक्षकार को घोर अन्याय होने की संभावना हो या निष्पक्षता या घोर अतार्किकता की जांच करता हो । संवैधानिक न्यायालय जब वे न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करती है तो वे अपीलीय प्राधिकार की भूमिका नहीं निभाती है। उनका क्षेत्राधिकार विधि और प्रक्रिया की गलतियों निष्पक्ष न्याय के सिद्धांत तक ही संसीमित है। उच्च न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्यों पर आधारित है और यह पूर्णतः विस्तृत एवं तार्किक है। आगे उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षण की सीमा को संसीमित नहीं कर सकती है बल्कि एक सरल विचार कर सकती है और वह अपना स्वतंत्र निर्णय दोषिता के संबंध में ले सकती है। अपीलीय प्राधिकार को अपीलकर्ता द्वारा उठाये गये प्रत्येक तर्क को सावधानी पूर्वक परीक्षित कर प्रत्येक पर अपीलकर्ता के संतुष्टि तक तर्क प्रस्तुत किया है। अनुशासनिक प्राधिकार का निर्णय त्रुटिहीन है तथा जांच अधिकारी के रिपोर्ट में कोई कमी प्राप्त नहीं हुई है। आमतौर पर अपील के निर्णय को तब तक पलटा नहीं जा सकता जब तक यह किसी विकृति से ग्रस्त ना हो। वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां कि कोई साक्ष्य नहीं है या यह न्यायालय अनुशासनिक प्राधिकार से कोई भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचता हो। (पैरा 25, 28 से 30) (1090-बी-इ)(1092-बी-जी)

2. अपीलार्थी का यह तर्क कि यह तथ्य कि जांच अधिकारी ने अभियोजन के गवाहों से अपने स्वयं के प्रश्न पूछे और प्रतिपरीक्षण में गवाह बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रश्नों से यह तथ्य आता है कि अभियोजन स्वयं को न्यायाधीश के बराबर बनने है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कोई व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायधीश नहीं हो सकता का उल्लंघन है और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। धारा 165 साक्ष्य अधिनियम के तहत न्यायाधीश को यह शक्तियां है कि तथ्य के बारे में गवाह या पक्षकार से कोई भी प्रश्न पूछ सके जिससे सुसंगत तथ्यों का पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हो सके। जबकि साक्ष्य के शख्त नियम अनुशासनिक कार्यवाहियों में लागू नहीं होते हैं, जांच अधिकारी सामान्यतः गवाह से कार्यवाहियों में गवाहों से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे कि सत्य का उद्भेदन हो सके। वास्तव में, कुछ परिस्थितयों में ऐसे सीधे प्रश्न पूछना आवश्यक हो सकता है। जांच अधिकारी के विरूद्ध निष्पक्षता या दोषपूर्ण कार्यवाहियों का कोई अभियोग विशेषतः आरोपित नहीं किया गया है और जांच के दौरान जांच अधिकारी को बदलने का कोई अनुरोध भी नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी की आपत्तियां सोची समझी है। स्पष्टतः विवादित व्यक्ति को निष्पक्ष विचारण प्राप्त हुआ है। (पैरा 31, 32) (1092-एच)(1093-ए -डी)

यूनियन आॅफ इंडिया बनाम टी. आर. वर्मा 1958 एस सी आर 499

3. आपराधिक कार्यवाहियां सिविल कार्यवाहियों से भिन्न होती है। अनुशासनिक मामलाेंं में यह दोनों कार्यवाहियां सम्भव और समान आरोपों को स्थापित करने हेतु

विवादित कार्मचारी के विरूद्ध सम्भावना के सिद्धांत और निष्कर्षतः सेवा से निलंबन। लेकिन उ□रोक्त साक्ष्य किसी व्यक्ति को अ□राधिक मामलों के क्षेत्राधिकार में साबित करने के लिए □र्याप्त नहीं होता। उ□रोक्त भिन्नता सबूत के मानको □र निर्भर करती है जो कि आ□राधिक एवं सिविल कार्यवाहियों में प्रस्तुत एवं भिन्न तरीके से दिया जाता है। यह □क्षकार और गैर तार्किक सामाजिक निर्णयों के बीच में का एक संतुलन है। इस प्रकार साक्ष्य के कठोर सिद्धांत और प्रक्रियाएं जो कि एक आ□राधिक मामले में लागू होती है वह अनुशासनिक जांच में लागू नहीं होती। इस प्रकार अ□ीलार्थी का यह तर्क कि जांच के बाद सी बी आई ने उसके विरूद्ध कोई आरो□ □त्र समर्पित नहीं किया है अतः उसे वर्तमान कार्यवाहियों से मुक्त किया जाय को खारिज किया जाता है। नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह आ□राधिक कार्यवाहियों से अलग एक स्वतंत्र और निष□क्ष अनुशासनिक कार्यवाही करवा सकता है। आगे सी बी आई रि□ोर्ट में कठोर अनुशासनिक कार्यवाही अ□ीलार्थी के विरूद्ध प्रतिवेदित नहीं है। (□ैरा 34, 35)(1094-ए-इ) निर्णय कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांस□ोर्ट का□ॅोरेशन बनाम एम जी विट्टल राव 2012 -1 एस सी सी 442 - 2011 -14 एस सी आर 1089, अजीत कुमार नाग बनाम इंडियन आ□ॅयल का□ॅोरेशन 2005 -7 - एस सी सी 764 - 2005 - 3 □ूरक एस सी आर 314 - भेल बनाम एम मनी 2018 - 1 - एस सी सी 285 - 2017 -11 एस सी आर 933

4. अनुशासनिक प्राधिकार को सिद्धदोष कर्मचारी को दंड आरो□ित करने का विस्तृत विवेकाधिकार होता हैं। यह निष□क्षता असमानु□ातिक के सिद्धांत के अंर्तगत होता है। यह आवश्यकता अनुच्छेद 14 में स्वयं वर्णित है जो कि राज्य प्राधिकारियों को भिन्न-भिन्न मानकों के आधार □र विचारण करने से रोकता है । समानु□ातिकता का निर्धारण केवल विवादित कर्मचारी के कार्य और आशय □र आधारित ना होकर उसके दुव्र्यवहार के वित्तीय प्रभाव और सामाजिकता □र निर्भर करता है। अनुशासनिक कार्यवाहियों में न्यायालय, आ□राधिक कार्यवाहियों से भिन्न समानु□तिकता के आधार □र ही हस्तक्षे□ करता है जबकि उसे यह लगता है कि अधिक मात्रा में दंड की घोषणा की गयी है या न्यायालय स्वयं में ही दंड से अचम्भित हो। इस प्रकार जहां □र अधिक दंड जैसा कि निलम्बन या □दच्यूत हो और वह गौर विवेकीय और कार्यदोष के लिए आस्वीकार हो। लेकिन गम्भीर अ□राधों में समाज में भय के लिए एक स□ष्ट संदेश देने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार के आरो□ों धन के दुर्विनयोग या घोर अनुशासनिकता के आरो□ प्रथम दृष्टतया इस प्रकार के उदाहरण है जिन्हें सख्ती से व्यवहार करने की आवश्यकता है। सेवा से निलंबन का दंड भ्रष्टाचार, संविरचना, भय के आरो□ों से भिन्न है जो कि सर्वमान्य रू□ से अ□ीलार्थी के विरूद्ध साबित हुआ है। अ□ीलार्थी के कार्यों से बी □ी सी एल को घोर हानि होने की संभावना हो गयी तथा लोगों में सी आई एस एफ के सदस्यों के प्रतिष्ठा भी निम्न हुई है। (□ैरा 36-38)(1094-एफ-जी)(1095-ए-डी)

जमील बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य (2010) 12 एस सी सी 532[2009] 15 एस. सी.आर. 712; चंद्र कुमार चो□ड़ा बनाम। भारत संघ (2012) 6 एस .सी .सी.369 :(2012) 5 एस. सी. आर. 1029; आंध्र प्रदेश सरकार बनाम मोहम्मद नसरुल्ला खान (2006) 2

एस. सी. सी. 373 :[2006] 1 एस .सी .आर. 911; बीसी चतुर्वेदी बनाम। भारत संघ(1995) 6 एस सी सी 749: [1995] 4 ूरक। एस. सी. आर. 644; तमिलनाडु राज्य बनाम। एस सुब्रमण्यम (1996) 7 एस .सी .सी. 509; ललित ो ली बनाम। केनरा बैंक (2003) 3 एससीसी 583:[2003] 2 एससीआर 100; हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत [2020] 7 एस सर्वोच्च न्यायालय की रि ोर्ट

बोर्ड लिमिटेड v. महेश दहिया (2017) 1 एससीसी 768: [2016] 9 एस. सी. आर. 879.

शशि प्रसाद बनाम. सी. आई. एस.एफ. (2019) 7 एस. सी. सी. 797

संदर्भित कानूनी मामले

(2019) 7 एस. सी. सी. 797	ैरा 23
[2006] 1 एस .सी.आर 911	ैरा 23
[1995]4 ूरक । एस .सी .आर 644	ैरा 26
(1996) 7 एस.सी.सी 509	ैरा 27
[2003]2 एस.सी.आर 100	ैरा 27
[2016] 9 एस.सी.आर 879	ैरा 27
[1958] एस.सी.आर. 499	ैरा 32
[2011] 14 एस.सी.आर 1089	ैरा 34
[2005] 3 ूरक। एस.सी.आर 314	ैरा 34
[2017] 11 एस.सी.आर 933	ैरा 35
[2009]15 एस.सी.आर 712	ैरा 36
[2012] 5 एस.सी.आर 1029	ैरा 38

सिविल अ ीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अ ील सं0 2012

उद्धृत उच्च न्यायालय बम्बई के दिनांक 05.05.2009 के निर्णय और आदेश से रिट याचिका संख्या 1001/2001।

क्षकारों की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता - श्री ी. एन. मिश्रा वरीय अधिवक्ता श्री के. एल. जंजीनी, आयुष ुरी, सुश्री बेंगनी, श्री बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता।

प्रस्तुत निर्णय दिया गया माननीय न्यायधीश श्री सूर्यकांत, जे.।

1. प्रस्तुत दीवानी अ ील, जो कि विडियो ाॅनफ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया, अ ीलकर्ता द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच के डब्ल्यू0 ी0 नम्बर 1001-2001 में ारित आदेश दिनांक 05.05.2009 के विरूद्ध दाखिल किया गया है जिसमें अर्द्धसैनिक अधिकारी के रू में कार्य करते हुए भ्रष्टाचार और गैर संवैधानिक आचरण के आरो ों र अनुशासनिक कार्यवाही को रद्द करने और बर्खास्तगी आदेश रद्द करने हेतु अ ीलकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

तथ्यात्मक विवरण

2. अ ीलकर्ता जनवरी, 1995 में उ -निरीक्षक के रू में केन्द्रीय औधोगिक सुरक्षा बल ;सी.आई.एस.एफ. में नियुक्त हुआ। हैदराबाद में अ ेक्षित प्रशिक्षण ूरा करने के बाद, उन्हें श्चिमी क्षेत्र के मुंबई कार्यालय में दस्था ित किया गया और मार्च, 1996 में भारत

ेट्रोलियम का ॅर्रेशन लिमिटेड ,बी.ी.सी.एल. की स्थानीय इकाई में तैनात किया गया। हालांकि शुरूआत मे उन्हें शिफ्ट ड्यूटी करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, लेकिन जुलाई, 1997 में उन्हें अ राध और खुफिया विंग मे तैनात किया गया था। जैसा कि साक्ष्य है कि 08.05.1998 के एक कार्यालय आदेश से प्रमाणित है कि अीलकर्ता को विशेष रू से कर्मियों की औचक तलाशी लेने और भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दायित्व सौं ा गया था।

3. दिनांक 28.02.1999 को शाम लगभग 6 बजे, कांस्टेबल राम अवतार शर्मा सी.डब्ल्यू-1," शर्मा " बी.ी.सी.एल. रिसर के ास सी.आई.एस.एफ. बस में यात्रा कर रह थे, जब इंस ेक्टर हीरालाल चौधरी (ी.डबलु.-1) चौधरी" ने देखा तो शर्मा की जेब मे उच्च मूल्यवर्ग के नोटो का एक बड़ा बंडल था जिससे संदेह उत न्न हुआ। चैधरी ने बस को वा स बी.ी.सी.एल. रिसर की ओर मोड़ दिया, और शर्मा को उतरी गेट के ास जबरन उतार दिया। गवाहों के समक्ष चौधरी ने शर्मा की तलाशी ली। इस दौरान 100 रू ये के 100 नोटों के रू में कुल 10,780/- रू ये और बाकी छोटे मूल्य वर्ग में बरामद किए गए। बे हिसाब नकदी की बड़ी रकम के बारे में शर्मा की ओर से कोई स ष्टीकरण नही आया, सिवाय दया की याचिका के, जिसके बाद राशि जब्त कर ली गई और घटना बी.ी.सी.एल. रिसर के उतरी गेट र रखी जरनरल डायरी (जी.डी.) में दर्ज की गई।

4. बाद में, यह ाया गया कि बी.ी.सी.एल. रिसर मुख्य द्वार र कुछ देर हले शाम लगभग 6.05 बजे एक विरोधाभासी जी.डी. प्रविष्टि ाई गई। यह देखते हुए कि कैसे एक अन्य अधिकारी की ओर से कुते-संचालक कांस्टेबल के.के. शर्मा (ी.डब्ल्यू.-2) द्वारा शर्मा (सी.डब्ल्यू.-1) को व्यक्तिगत ऋण के रू में 9,000/- रू ये की राशि सौं ी गई थी। जांच के दौरान यह ता चला कि यह प्रविष्टि झूठी थी और वर्तमान अीलकर्ता के कहने र दर्ज की गई थी, जिसने शाम 6.30 से 7 बजे के बीच ए.एस.आइ. सुरजन सिंह (ी.डब्लयू.-5) को कई फोन ाॅल किए थे, जो कि मेन गेट में तैनात थे। वे गेट और अन्य जीडी रजिस्टर के प्रभारी थे ।

5. अगली सुबल के.शर्मा (ी. डब्ल्यू.-2) जिन्हें ेश किया गया था जो शर्मा को नकदी हुंचाने के लिए अीलकर्ता ने दबाव डाला था और यह कह कर कि वह वास्तव में अ ने वैकल्ि क ऋण भुगतान का झुठा समर्थन करता है और जब्त धन राशि वितरित कर दी थी ।

6. इस प्रकार प्रतिवादी- अधिकारियों प्राधिकार र द्वारा केन्द्रीय जा ॅच ब्यूरो (सी.बी.आई.) की क्षेत्रीय भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में 06.03.1999 को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। इसके साथ ही, सहायक कमांडेट ी.बी. ाटिल के साथ जांच अधिकारी के रू मे सी.आई.एस.एफ. नियम, 1969 के नियम 34 के तहत एक जांच भी शुरू की गई और अीलकर्ता को दिनांक 31.5.1999 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया।

।ण् आरो ञ

7. आरो□ □त्र में अ□ीलकर्ता के खिलाफ तीन आरो□ शामिल थे, □हला-गलत जी.डी. प्रविष्टि (नम्बर 257, 6.05 अ□राह्न 28.02.1999) के आदेश के आधार □र घोर कदाचार और अनुशासनहीनता, दूसरा- उ□रोक्त फर्जी जी.डी. प्रविष्टि को प्रमाणित करने के लिए गलत बयान देने के लिए कांस्टेबल के.के. शर्मा को गैर कानूनी आदेश जारी करके एक अतिरिक्त-संवैधानिक प्राधिकारी बनना, और तीसरा- अ□ने अधीनस्थों के माध्यम से बी.□ी.सी.एल. के ठेकेदारो से अवैध रू□ से रिश्वत इकट्ठा करने का भ्रष्टाचार। इन सभी आरो□ों का अ□ीलकर्ता ने विरोध किया। जिन्होंने सबूतों और दस्तावेजो की एक विस्ततृ सूची मा◌ंगी और उन्हें प्रदान किया गया।

बी. जांच एवं जांच रि□ोर्ट

8. जांच अधिकारी ने 17.09.1999 को एक सु-स□ष्ट रि□ोर्ट प्रस्तुत किया जिसमें छह गवाहों के लिखित कथन और बयान शामिल थे जो आरो□ों की □ुष्टि कर रहे थे, साथ ही □ांच बचाव गवाहों के रू□ मे अ□ीलकर्ता के तरफ से सबूत भी शमिल थे। इंस□ेक्टर हीरा लाल चैधरी (□ी. डब्ल्यू.-1) ने शर्मा की तलाशी ली और, उसके □ास से 10,780 रू□ये की राशि की जब्ती और संदिग्ध राशि के श्रोत के बारे में मौके □र उसके द्वारा केई स□ष्टीकरण न दिए जाने की गवाही दी । हेड कांस्टेबल के.के. शर्मा (□ी. डब्लू-2) जिन्होंने अ□ीलकर्ता के बचाव के अनुसार जप्त की गई राशि को शर्मा को ऋण राशि के रू□ मे सौ□ दिया था, ने इस वैकल्पि□क संस्करण को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय अ□ीलकर्ता को यह उल्लेख करके फंसाया कि उसने न केवल उसे कोई □ैसा दिया था कोई भी, और इसके बजाय उसने अ□ीलकर्ता द्वारा गलत बयान देने की धमकी दी गई थी। हेड कांस्टेबल आर. के. शर्मा (□ी. डब्ल्यू.-3) ने दावा किया कि उन्होंने तलाशी और जब्ती देखी है। इस तरह के आयोजन के दौरान ऋण की किसी भी बात से इनकार किया। ए.एस.आई. करण सिंह (□ी.डब्ल्यू.-4) ने बताया कि दो खाली कचरा ट्रक दो□हर में बी.□ी.सी.एल. □रिसर मे दाखिल हुए थे। ए.एस.आई. सुरजन सिंह (□ी. डब्ल्यू.-5) ने गवाही दी कि शाम लगभग 6.30 बजे जब वह बी.□ी.सी.एल. मेन-गेट □र ड्यूटी □र थे, उन्हें अ□ीलकर्ता का फोन आया और उन्हें शाम 6.05 बजे से □हले के समय में झूठी जी.डी. प्रविष्टि दर्ज करने के लिए धमकाया गया कि वह एक काल्□निक ऋण को प्रमाणित करे शर्मा की सुरक्षा के घोषित उद्देश्य के साथ।

9. इसके अतिरिक्त, जांच अधिकारी ने कांस्टेबल राम अवतार शर्मा; (सी. डब्ल्यू-1) से □ूछताछ की, जिन्होंने गवाही दी कि दिनांक 28.2.1999 को लगभग 2 बजे उन्हें अ□ीलकर्ता की ओर से डी.के. □रमार नाम के एक व्यक्ति से नोटों का एक बंडल मिला, जिसकी कुल कीमत 10,000- रू□ये थी, जो अनुबंध्ति था बी.□ी. सी.एल. द्वारा कूड़ा/ कचरा उठाने का कार्य हेतु। ये नोट उनके □ास 780 रू□ये की उनकी निजी नकदी के अलावा थे, जब उन्हें चौधरी (□ी. डब्ल्यू.-1) ने शाम लगभग 6.15 बजे □कड़ा था जब वह सी.आई.एस. यात्रा कर रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने झूठा दावा किया था कि □ैसे उन्हें के.के. शर्मा (□ी. डब्ल्यू.-2) द्वारा दिए गय थे, और एक सवाल के जवाब में उन्होने खुलासा किया कि बी.□ी.सी.एल. के ठेकेदारों से सयंत्र में प्रवेश करने वाले प्रति वाहन 20 रू□ये की दर से

अवैध रू□ से रिश्वत ली गई थी और बाहर निकलने □र प्रति वाहन 5 रू□ये जप्त की गई, धन राशि, विशेष रू□ से लोहे के स्क्रै□ और □ीतल की चोरी की सुविधा के लिए अ□ीलकर्ता को सौं□ी जनी थी जिसे कचरे के बीच में □रिसर से बाहर तस्करी कर लाया गया था। जे. सी. डब्ल्यू.-1 , हालांकि बाद में मुकर गया और दावा किया कि रिकाॅर्ड में उसने जो कहा था उसके अलावा कुछ और दर्शाया गया है और उसके हस्ताक्षरों □र भरोसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसने दस्तावेज नहीं □ढा है।

10. अ□ीलकर्ता ने अ□ने बचाव साक्ष्य में कांस्टेबल एम.एन. धनवत (बचाव साक्षी संख्या-1) की जांच करायी जिन्होने बताया कि हालांकि वह घटना की तारीख □र वह नाॅर्थ गेट □र तैनात थे, लेकिन वह अ□ीलकर्ता की अनुमति से ड्यूटी घंटों के दौरान निजी काम के लिए निकल गए थे। कांस्टेबल जयमल सिंह, (बचाव साक्षी सख्या-2) ने गवाही दी कि जब वह शाम करीब 6.40 बजे उत्तरी-गेट □र □हुंचे तो उन्होंने शर्मा की तलाशी ली और चैधरी द्वारा जी.डी. इंट्री की रिकाॅर्डिंग देखी थी, इसके अलावा, उन्होने दावा किया कि शर्मा बार-बार अ□ीलकर्ता से सम□र्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शाम करीब 7 बजे ही सम□र्क हो सका और फिर उन्हे सूचित किया गया कि वह अ□नी ही □ैसे ले जाते हुए □कड़े गए है। ए.एस.आई. ए.□ी. मिश्रा (बचाव साक्षी संख्या-3) जो वाशी में सी.आई. एस.एफ. नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी □र थे, ने कहा कि उनकी उ□स्थिति में घटना के सम्बंध मे अ□ीलकर्ता को कोई संदेश नहीं दिया गया था। □ी.के. नश्कर (बचाव साक्षी संख्या-4) का कहना है कि उनकी ड्यूटी के दौरान शाम 7 बजे वाशी काॅम□लेक्स में क्वार्टर गार्ड उन्हें ए.एस.आई. ए.□ी. मिश्रा (बचाव साक्षी संख्या-3) द्वारा अ□ीलकर्ता को एक संदेश देने के लिए निर्देशित किया गया था कि उनके लिए जयमल सिंह बचाव साक्षी संख्या-2 का फोन आया था। अंत में, प्रवीण धनजी □रमार बचाव साक्षी संख्या-5 जो ठेकदार डी.के. □रमार एंड कम□नी की ओर से □िछले बीस वर्षों से बी.□ी.सी.एल. रिफाईनरी में हाउस की□िंग का काम कर रहे थे, ने कहा कि उन्होने शर्मा को कोई □ैसा नही दिया। इसके अलावा जांच अधिकारी ने रिर्काड □र मौजूद सम्बंधित जी.डी. प्रविष्टियों और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया।

11. इन असंख्य साक्ष्यों के आधार □र और उसके बाद अ□ीलकर्ता को साथ-साथ सभी गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया गया। अ□ने स्वयं के ठोस तर्कों का नेतृत्व करते हुए, जांच अधिकारी ने दिनांक 17.09.1999 की रि□ोर्ट के माध्यम से अ□ीलकर्ता को तीनों आरो□ों में से प्रत्येक के तहत दोषी ठहराया। जांच अधिकारी ने □ाया कि जी.डी. नम्बर 257 28.02.1999 को शाम 6.05 बजे दर्ज किया गया था जो कि सुरजन सिह (अभियोजन साक्षी संख्या-5) द्वारा अ□ीलकर्ता के कहने □र की गई एक झूठी प्रविष्टि थी, ताकि एक वैकलि□क संस्करण तैयार किया जा सके जिसमें शर्मा (सी. डब्ल्यू.-1) को कथित तौर □र जप्त धन ऋण के रू□ मे प्राप्त हुआ था दूसरे आरो□ के अनुसार, के.के. शर्मा (अभियोजन साक्षी संख्या-2) के संस्करण से यह स्था□ित हुआ कि उन्होंने कोई ऋण नहीं दिया था और अ□ीलकर्ता ने जी.डी. संख्या- 2357 को प्रमाणित करने के लिए गलत बयान देने के लिए उनसे सम□र्क किया था। अंत में, सभी साक्ष्यों की समग्र व्याख्या, यानी जी.डी. का

मिथ्याकरण, के.के. शर्मा अभियोजन साक्षी संख्या-2 को धमकी, साथ ही, बचाव साक्षी संख्या-1 जैसे अन्य गवाहो के बयानो से गलत काम के संकेत, जांच अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि अ□ीलकर्ता द्वारा अ□ने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से बी.□ी.सी.एल. के ठेकेदारों से अवैध रकम एकत्र की जा रही थी और इसलिए भ्रष्टाचार का तीसरा आरो□ भी साबित हो गया है ।

.सी.- अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही ।

12. इस विस्तृत जा◌ॅच रि□ोर्ट को अनुशासनात्मक प्राधिकार के समक्ष रखा गया, जिसने अ□ीलकर्ता को रि□ोर्ट की एक प्रति के साथ-साथ इसका जबाब देने का अवसर भी दिया। दिनांक 14.10.1999 को अ□ीलकर्ता द्वारा लिखित प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दिए गए विस्तृत खंडन की अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा विस्तार से जांच की गई। जांच अधिकारी के □क्ष□ाती होने और अ□ीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए □ूर्व-निस्तारित होने की प्रारंभिक आ□त्तियों को अनुशसनात्मक प्राधिकारी द्वारा ठोस कारणों से खारिज कर दिया गया था। यह नोट किया गया कि अ□ीलकर्ता को न केवल गवाहों से जिरह करने और सहायता प्राप्त करने का उचित अवसर दिया गया, बल्कि स□ष्टीरण मांगने के भी □र्याप्त अवसर दिए गए और वास्तव में उसके द्वारा स□ष्टीकरण अै◌ार साक्ष्यों और दस्तावेजों के रिका◌ॅर्ड का भी लाभ उठाया गया था ।

13. अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने नोट किया कि गवाहों की गवाही में कोई मौलिक विरोधाभास नहीं बताया जा सका, और कोई बाध्यकारी वैकल्पि□क सबूत □ेश नहीं किया गया था। आरो□ों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिसमें अर्द्धसैनिक बल के सदस्यों के बीच गुप्त भ्रष्टाचार शामिल था, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने □ाया कि यह संभावना नहीं थी कि के.के. शर्मा अभियोजन साक्षी -2 को गलत बयान देने के लिए धमकाने के आरो□ जैसी कई घटनाओं के स्वतंत्र गवाह होगें। गवाही, या की बी.□ी.सी.एल. के ठेके◌ेदारों से रिश्वत वसूलना।

14. अनुशासनिक प्राधिकारी ने □ाया कि यह एक निविर्वाद तथ्य था कि शर्मा सी. (डब्ल्यू.-1) से 10,780 रू□ये की राशि बरामद की गई थी, जो 10 रू□ये की अधिकतम स्वीकार्य राशि से कहीं अधिक थी। विभिन्न अधिकारियों की गवाही से □ता चला अधीनस्थ अधिकारियों के नेटवर्क के माध्यम से अवैध धन इकट्ठा करने की अ□ीलकर्ता की कार्य प्रणाली, और इससे भी महत्व□ूर्ण बात, गवाहों को दबाने और □कड़े जाने □र सबूत गढ़ने की उनकी कोशिशें की गयी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने नोट किया कि जांच अधिकारी ने निर्धारित प्रक्रिया का □ालन किया था और उसकी निष□क्षता को □हले कोई चुनौती नहीं दी गई थी और जांच अधिकारी को बदलने का कोई अनुरोध कभी नही किया गया था। इसलिए, अनुशासनात्मक कार्यवाही के इस चरण में किसी दुर्भावना या □ूर्वाग्रह का सुझाव भी नही दिया जा सकता है। इसी तरह अन्य अधिकारियों को फंसाने की अ□ीलकर्ता की कोशिश के लिए अप्रासंगिक माना गया, क्योंकि वर्तमान जांच केवल अ□ीलकर्ता के आचरण तक हीं सीमित थी।

15. इस प्रकार, कदाचार की गंभीर प्रकृति और अ□ीलकर्ता को दिए गए रैंक और कर्तव्य, और आरो□ों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए, जिसने अ□राधी अधिकारी व्यक्तिगत अखंडता और बल की सामूहिक छवि दोनो □र सवाल उठया गया। अनु◌ुशासनात्मक प्राधिकरण ने सी आई.एस.एफ. नियम, 1969 के नियम 31;(अनुसूची □□ के साथ □ठित नियम 29;) के तहत सेवा से बर्खास्तगी की अनुकरणीय सजा लगाते हुए, दिनांक 20.11.1999 को आदेश □ारित किया ।

डी- अ□ीलीय प्राधिकारी का निर्णय

16. अ□ीलकर्ता ने सी.आई.एस.एफ. □श्चिमी क्षेत्र के उ□ महानिरीक्षक के समक्ष सेवा से बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ विभागीय अ□ील दायर की। गवाही में विरोधाभासों को उजागर करने और रिकाॅड □र सबूतों की फिर से ब्याख्या करने के अलावा अ□ीलकर्ता ने एक नया बचव भी उठाया कि □ूरी कार्यवाही एक विशेष वरिष्ट अधिकारी के आदेश □र थी ।

17. अ□ीलीय प्राधिकारी ने अ□ीलर्ता के प्रत्येक आक्षे□ □र गौर किया और रिकाॅड □र साक्ष्य की फिर से सराहना करने के बाद, दिनांक 12.07.2000 के आदेश के तहत अ□ील को खारिज कर दिया, और निष्कर्ष निकाला कि:

श् इसके अलावा मैने □ाया कि विभागीय जांच कार्यवाही में कोई मौलिक अनियमितता या न्याय का दुरू□योग नही हुआ है। सिद्ध कदाचार की गंभीरता □र विचार करने के बाद, चाचिकाकर्ता को सी.आई.एस.एफ. जैसे भारत संघ के सशस्त्र बल में बनाए रखने के लिए उ□युक्त नही □ाया गया । अ□ील याचिकाएं □ूरी तरह से योग्यता से रहित है। वास्तव में और कानून में सिद्ध कदाचार को देखते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिया गया दंड अत्यधिक नहीं है। ऐसे में मुझे अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा □ारित आदेशों में हस्तक्षे□ करने का कोई कारण नही मिलता है और मैं अ□ील याचिका को योग्यता रहित होने के कारण खारिज करता हूॅ ।

उच्च न्यायालय के समक्ष रिट

18. बाॅम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से अनुशासनात्मक और अ□ीलीय अधिकारियो द्वारा □ारित आदेशों को और चुनौती दी गई थी। अ□ीलकर्ता ने संक्षे□ में और सारगर्भित जानकारी मांगी। रिकाॅर्ड □र मौजूद साक्ष्यों का □ुर्नमूल्यांकन करते हुए दावा किया गया कि सी.आई.टी. उसके खिलाफ लगाए गए आरो□ों के लिए उसे दोषी ठहराने के लिए गुणात्मक रू□ से अर्याप्त था। इसके अतिरिक्त, अ□ीलकर्ता ने सी.आई.एस.एफ. नियम 1969 के नियम 34(10)(1() (बी) के गैर - अनु□ालन का एक नया आधार उठाया, जिसमें प्रस्तावित दंड के संबध में दूसरा कारण बताओ नोटिस और सुनवाई का अवसर देने का प्रावधान था। अ□ीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष स्□ष्ट रू□ से प्रस्तुत किया कि यह उसका मामला नहीं है कि उसके खिलफ लगाया गया जुर्माना अनु□ातहीन था, यदि उसके खिलाफ आरो□ साबित हुए थे ।

19. उच्च न्यायालय ने, आदेश-अंडर-चैलेंज के माध्यम से, तथ्यों और आॅन-रिकाॅर्ड सामग्री की विस्तृत □ुनः जांच की, अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार किया और निष्कर्ष निकाला कि इसे स्था□ित करने के लिए □र्याप्त सबूत मौजूद थे।

बी.ी.सी.एल. के ठेकेदारों से अवैध धन के संगठित संग्रह में अीलकर्ता की भागीदारी आैर आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करने और अधीनस्थ अधिकारियो को अने वैकल्िक सस्करणर का समर्थन करने के लिए झूठी गवाही देने के लिए धमकाने में उनकी भूमिका थी।

20. उच्च न्यायालय ने स्ष्ट रू से माना कि धरेलू जांच में सभी प्रक्रियाओं का ालन किया गया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरू था और अीलकर्ता को घटनाओं के बारे में अना क्ष रखने के कई अवसर दिए गए थे। अीलकर्ता ने जिस सी.आई.एस.एफ. नियम र भरोसा करने की मांग की थी, उसे 1981 में संशोधित किया गया था। इसलिए दंड के चरण में अलग से कारण बताओं नोटिश की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। तद्नुसार रिट याचिका 05.06.2009 को खारिज कर दी गई।

क्षकारों के तर्क

21. प्रस्तुत अील हीं अंतिम उाय होने के कारण, अीलकर्ता के विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता ने एक बार फिर हमें रिकॉर्ड के बारे मे बताया और इस बात र प्रकाश डाला कि कैसे मुख्य गवाह (सी. डब्ल्यू.-1) अने बयान से मुकर गया था और कैसे गवाहों और दस्तावेजों के बीच केाई ुष्टि नही हुई। जांच अधिकारी के आचरण र सवाल उठाया गया, यह तर्क देते हुए कि गवाहो से सवाल ूछने का उनका निर्णय अनुचित था। वे न्यायाधीश और अभियोजक दोनों के रू में कार्य करते हुए, जांच अधिकारी र संूर्ण कार्यवाही को दूषित करने का आरो लगाया गया था। अंतिम क्षण तक, अीलकर्ता दृढ़ताूर्वक अने वैकल्िक संस्करण र अड़ा रहा कि बरामद की गई 10,780 रूये की राशि निजी क्षमता में दो अधिकारियों के बीच दिए गए ऋण के अलावा कुछ नही थी, और उस र झूठे आरो अप्रत्यक्ष उद्देश्यों से लगाए ग़ए थे । कुछ वरिष्ट अंत में अीलकर्ता ने नरमीं की मांग की और आग्रह किया कि शेष 21 वर्षों की सेवा को देखते हुए, सेवा से बर्खास्तगी की कड़ी सजा देना अत्यधिक असंगत है, जिससे कोर्ट की समझदारी को झटका लगना चाहिए ।

22. इन तर्कों का उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा चतुराई से प्रतिवाद किया गया है, जिन्होंने आक्षेित आदेश के विशिष्ट संदर्भ के माध्यम से इस बात र प्रकाश डाला है कि सी.डब्ल्यू-1 के बयान को वास लेने र सभी ूर्व अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया गया था और इस र कोई महत्वूर्ण निर्भरता नहीं रखी गई थी। अीलकर्ता को दोषी ठहराते हुएं उन्हें र्याप्त अवसर दिये गये और उनका लाभ उठाया गया। इस तथ्य र घ्यान आकर्षित किया गया कि वर्तमान कार्यवाही ांचवें स्थान र थी जहां अीलकर्ता अने मामले की ैरवी कर रहा था हले और सी.बी.आई. ने. समवर्ती रू से उसका अराध ाया था।

23. जानबुझकर और योजनाबद्ध तरीक से की गई हेराफेरी और अधीनस्थ अधिकारियों को दी गई जबरदस्त धमकियों को उत्तरदाताओं द्वारा उजागर किया गया था, और अीलकर्ता द्वारा प्रति ादित लोन की कहानी को िछले सभी मंचों द्वारा बार-बार प्रस्तुत और खारिज किए जाने के रू मे दिखाया गया था। जांच अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अीलीय प्राधकारी और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों को देखते हुए ारित विस्तृत मूल्यांकन और तर्कसंगत आदेश के साथ-साथ यह प्रस्तुत किया गया कि ुनर्मूल्यांकन या

आगे के निर्णय की बहुत कम गुंजाईस बची हैं न्याय निर्णय शशि प्रसाद बनाम सी.आई.एस.एफ. के तर्क को बल देने के लिए तैयार किया गया था कि विभागीय जांच अ□राधिक कार्यवाही के समान स्तर □र नहीं है। सबूत के मानकों मे अन्तर के कारण एक मामले मे बरी होने से दूसरे व्यक्ति के बारे मे □हले से फैसला नहीं किया जा सकेगा। यह दावा किया गया था कि आंध्र प्रदेश सरकार बनाम मोहम्मद नसरूल्ला खान के अनुसार सबूतों की दोबारा सराहना नहीं की जा सकती है, और संवैधानिक न्यायालयों को ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा सरकारी कर्मचारियों की अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरूद्ध अ□ीलीय प्राधिकारी के रू□ में कार्य करना है। अंत में, अर्द्धसैनिक बलों में रोजगार की नाजुक प्रकृ◌ित और समाज द्वारा उस □र जताए गए उच्च विश्वास के उल्लंधन को देखते हुए अ□ीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने की सख्त सजा उचित थी ।

विश्लेषण

24. प्रारम्भ में, हीं यह ध्यान दिया जा सकता है कि अ□ीलकर्ता ने तथ्यात्मक प्रश्नों से जुड़े मुद्दों के बावजूद इस न्यायालय के समक्ष कुछ नए आधार उठाने का विकल□ चुना है। फिर भी इस अ□ील मे सेवा न्यायशास्त्र के कुछ प्रासंगिक प्रश्न उठाये हैं, जिनका उत्तर देना हम उचित समझते है।

I. सेवा कानून मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा

25. अ□ीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कमियों और विरोधाभासों को उजागर करने के इरादे से हमें रिका◌ॅर्ड □र मौजूद विभिन्न साक्ष्यों से अवगत कराने में काफी समय बितया। हमें लगता है कि ऐसी कवायद व्यर्थ थी, क्योंकि वर्तमान कार्यवाही में हस्तक्षे□ की सीमा काफी सीमित है। अनुच्छेद 226 या 32 के तहत संवैधानिक न्यायालयों द्वारा या अनुच्छेद 136 के तहत अ□ील मे बैठने □र न्यायिक समीक्षा की शक्ति, एक विभागीय अ□ीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली अ□ीलीय शक्ति से अलग है। यह कहना उचित होगा कि न्यायिक समीक्षा निर्णय लेने की प्रक्रिया का मूल्यांकन है और स्वयं निर्णय के गुण-दोष का नहीं। न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य उ□चार में निष□क्षता सुनिश्चित करना है न कि निष्कर्ष में निष□क्षता सुनिचित करना। इसका उ□योग कानून या प्रक्रिया की स□ष्ट त्रुटियों को ठीक करने के लिए किया जाना चाहिए, जिसके □रिणामस्वरू□ महत्व□ूर्ण अन्याय हो सकता है, या □ूर्वाग्रह या □रिणाम की घोर अनुचितता के मामले में।

26. इन सिद्धांतों को बी.सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीश □ीठ द्वारा निम्नलिखित उद्धरण में संक्षे□ में स□ष्ट किया गया है,-

12. न्यायिक समीक्षा किसी निर्णय के खिलाफ अ□ील नहीं है, बल्कि निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए है कि व्यक्ति को उचित उ□चार मिले, न कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राधिकारी जिस निष्कर्ष □र □हुंचता है न्यायालय की नजर में आवश्यक रू□ से सही है। जब किसी लोक सेवक द्वारा कदाचार के आरो□ □र जांच की जाती है, तो न्यायालय न्यायाधिकरण यह निर्धारित करने के लिए चिंतित होता है कि क्या जांच एक सक्षम अधिकारी द्वारा की गई थी या प्राकृतिक न्याय के नियमों का अनु□ालन किया जाता है चाहे निष्कर्ष कुछ सबूतों □र आधारित हों।

जिस प्राधिकार को जांच करने की शक्ति सौंी गई है उसके ास तथ्य या निष्कर्ष तक हुंचने के लिए अधिकार क्षेत्र शक्ति और अधिकार है लेकिन वह निष्कर्ष कुछ सबूतों र आधारित होना चाहिए। साक्ष्य को न तो साक्ष्य अधिनियम के तकनीकी नियम और न ही उसमें रिभाषित तथ्य या सबूत के अनुशासनात्मक कार्यवाही र लागू होते हैं। जब भी प्राधिकारी स्वीकार करता है कि साक्ष्य और निष्कर्ष को उससे समर्थन र्याप्त होता है तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी यह मानने का हकदार है कि अराधी अधिकारी आरो का दोषी है। न्यायिक समीक्षा की अनी शक्ति में कोर्ट ट्रिब्यूनल साक्ष्यों की ुनः विवेचन करने और साक्ष्यों र अने स्वयं के स्वतंत्र निष्कर्षों र हुंचने के लिए अीलीय प्राधिकारी के रू में कार्य नहीं करता है। कोर्ट ट्रिब्यूनल हस्तक्षे कर सकता है जहां प्राधिकरण अराधी अधिकारी के खिलाफ असंगत तरीके से कार्यवाही की है। प्रकृतिक न्याय के नियमों के साथ या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों के उल्लंघन में या जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष या निष्कर्ष बिना किसी सबूत र आधारित है। यदि निष्कर्ष या निष्कर्ष ऐसा है जिस र कोई भी उचित व्यक्ति कभी नहीं हुंच सका है, तो न्यायालय-अधिकरण निष्कर्ष या निष्कर्ष में हस्तक्षे कर सकता है और राहत को इस तरह से ढाल सकता है कि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों के लिए उयुक्त हो।

13. तथ्यों र एकमात्र न्यायाधीश के रू में अनुशासनात्मक प्राधिकारी जहां अील प्रस्तुत जाती है, अीलीय प्राधिकारी के ास साक्ष्य या सजा की प्रकृति की फिर से विवेचना करने की व्याक शक्ति होती है। अनुशासनात्मक जांच में, कानूनी साक्ष्य के सख्त सबूत और उस साक्ष्य र निष्कर्ष प्रासंगिक नहीं होते हैं। साक्ष्य की र्याप्तता या साक्ष्य की विश्वसनीयता को न्यायालय-न्यायाधिकरण के समक्ष प्रचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भारत संघ बनाम एच.सी. गोयल (1964) 4 एससीआर 718 एआईआर 1964 एससी 364 (1964) 1 एलएल 38, इस न्यायालय ने ी. 728 कि यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा हुंचाए गए साक्ष्यों र विचार करने र निष्कर्ष विकृत है या रिकॉर्ड के सामने टेंट त्रुटि से ग्रस्त है या किसी भी सबूत र आधारित नहीं है तो सर्टिओरारी की रिट जारी की जा सकती है।

27. इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में इन मादंडों को लगातार दोहराया गया

1. तमिलनाडु राज्य बनाम एस. सुब्रमण्यम, (1996) 7 एससीसी 509।

2. ललित ोली बनाम। केनरा बैंकए (2003) 3 एससीसी 583

3. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड बनाम। महेश दहिया. (2017) आई एससीसी 768

28. इस प्रकार यह अच्छी तरह से स्थाित है कि संवैधानिक न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अनी शक्तियों का प्रयोग करते समय अीलीय प्राधिकारी की भूमिका नहीं निभाएंगे। उनका अधिकार क्षेत्र कानून की त्रुटियों, प्रक्रियात्मक त्रुटियों को सुधारने की सीमाओं से घिरा हुआ है, जिसके कारण प्रकट अन्याय या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन

होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, न्यायिक समीक्षा अ□ीलीय प्राधिकारी की तरह किसी मामले की खूबियों □र विचार करने के समान नहीं है।

29. इस प्रकार उच्च न्यायालय दस्तावेजों और बयानों के माध्यम से अ□ीलकर्ता के अ□राध को सत्या□ित करने के बजाय जांच अधिकारी की क्षमता और प्रकृतिक न्याय के □ालन के बारे में अधिक चिंतित था। इसमें स□ष्ट रू□ से उल्लेख किया गया है कि सबूत □ेश किए गए, जिरह की गई और तर्कों को संबोधित करने, आ□त्तियां उठाने और अ□ील दायर करने के अवसर दिए गए। प्राप्त निष्कर्ष इन्हीं साक्ष्यों □र आधारित था और विस्तृत एवं तर्कसंगत था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के दायरे को सीमित नहीं किया, बल्कि एक उदार दृष्टिकोण अ□नाया, और अ□राध के अ□ने स्वतंत्र निष्कर्ष □र □हुंचने के लिए और आगे बढ़ा। इसी प्रकार, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि अ□ीलीय प्राधिकारी ने अ□ीलकर्ता द्वारा अ□नी अ□ील में उठाए गए प्रत्येक अनुरोध को सावधानीपूर्वक नि□टाया था और अ□ीलकर्ता के मन को संतुष्ट करने के लिए सभी तर्कों □र विस्तृत प्रतिक्रिया दी थी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी भी त्रुटिहीन था और जाँच अधिकारी की रि□ोर्ट में भी कोई खामी नहीं □ाई जा सकी।

30. यहां तक कि सामान्य बोलचाल में, जहां एक अ□ीलीय या समीक्षा करने वाला न्यायालय-प्राधिकारण एक अलग निष्कर्ष □र □हुंचता है, आमतौर □र अ□ील के तहत निर्णय को तब तक हस्ताक्षे□ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह प्रशंसनीय बना रहे या विकृति से ग्रस्त न □ाया जाए। वर्तमान मामला न तो ऐसा है जहां कोई सबूत नहीं है, न ही यह ऐसा है जहां हम अनुशासनात्मक प्राधिकारी से भिन्न किसी निष्कर्ष □र □हुंच सकते हैं, खासकर यहां बताए गए कारणों से।

प्प्ण् प्रक्रिया की उ□युक्तता एवं □ी.एन.जे.

31. अ□ीलकर्ता द्वारा इस तथ्य □र महत्वपूर्ण जोर दिया गया है कि जांच अधिकारी ने अभियोजन □क्ष से अ□ने प्रश्न पूछ गवाह और उसने बचाव □क्ष द्वारा लाए गए गवाहों से जिरह की। दावा किया गया है कि यह अभियोजक को न्यायाधीश बनाने के समान है। यह ‘‘कोई व्यक्ति अ□ने स्वंय के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता’’ के प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन है। जबकि, ऐसी दलील ग़लत है। यह माना जाना चाहिए कि, धारा 165, साक्ष्य अधिनियम के तहत, न्यायाधीशों को प्रासंगिक तथ्यों की खोज करने या उचित प्रमाण प्राप्त करने के लिए किसी भी तथ्य के बारे में किसी भी गवाह या □ार्टी से कोई भी प्रश्न पूछने की शक्ति है। जबकि साक्ष्य के सख्त नियम अनुशासनात्मक कार्यवाही □र लागू नहीं होते हैं, जांच अधिकारी अक्सर सच्चाई का □ता लगाने के लिए ऐसी कार्यवाही में गवाहों से सवाल पूछते हैं। दरअसल, कुछ □रिस्थितियों में ऐसी सीधी पूछताछ करना जरूरी हो सकता है। इसके अलावा, अ□ीलकर्ता के विद्वान वकील ने, यह आरो□ लगाने के अलावा कि जांच अधिकारी ने गवाहों से पूछताछ की है, अधिकारी द्वारा पूछे गए किसी भी विशिष्ट प्रश्न की ओर इशारा नहीं किया जो यह दर्शाता हो कि उसने अ□ने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। जांच अधिकारी के खिलाफ किसी विशिष्ट दुर्भावना या पूर्वाग्रह का आरो□ नहीं लगाया गया है, और यहां तक कि जांच के दौरान प्रतिस्था□न के संबंध में कोई

अनुरोध नहीं किया गया था। इस प्रकार यह इस बात का प्रमाण है कि ये आ□त्तियाँ एक व्यक्ति के विचार के अलावा और कुछ नहीं हैं।

32. जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि अ□राधी व्यक्ति को निष□क्ष सुनवाई मिली, जिसे स□ष्ट रू□ से विश्लेषण करके निर्धारित किया जा सकता है कि क्या उसे साक्ष्य जोड़ने, गवाहों से जिरह करने का अवसर मिला और क्या उसकी उ□स्थिति में बयान दर्ज किए गए थे। रिकॉर्ड स□ष्ट रू□ से बताता है कि वर्तमान कार्यवाही में इन सभी आवश्यक बातों का विधिवत □ालन किया गया था। किसी अन्य अधिकारी की सहायता लेने का अवसर दिया गया, प्रत्येक प्राधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया, सबूत □श करने, गवाहों से जिरह करने और आ□त्तियां उठाने के लिए कई अवसर दिए गए। अ□ीलकर्ता ने इनमें से अधिकांश विकल□ों का प्रयोग किया, हालांकि कुछ को अनुस्मारक के बावजूद छोड़ दिया गया। अ□ीलकर्ता की ओर से मामूली देरी को नजरअंदाज कर दिया गया और उसकी एफ की प्रत्येक चिंता को विस्तृत कारणों के माध्यम से संबोधित किया गया।

प्प्प्ण् अनुशासनात्मक कार्यवाही □र आ□राधिक जाँच का प्रभाव

33. दिनांक 28.02.1999 की घटना ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आ□राधिकता के साथ-साथ सेवा विनियमों के उल्लंघन और प्रशासनिक कदाचार के गंभीर प्रश्न उठाए। इस प्रकार, जांच अधिकारी की नियुक्ति के अलावा, अधिकारियों ने सीबीआई के □ास एक आ□राधिक शिकायत भी दर्ज की। जांच के बाद, हालांकि, सीबीआई को अ□ीलकर्ता के खिलाफ आ□राधिक मुकदमा शुरू करने के लिए □र्याप्त सामग्री नहीं मिली, लेकिन अ□ने स्वयं के बयान से 07.03.2000 की एक रि□ोर्ट में, सी.बी.आई. ने अ□ीलकर्ता और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की।

34. यह बहस से □रे है कि आ□राधिक कार्यवाही सिविल कार्यवाही से भिन्न होती है। अनुशासनात्मक मामलों में संभावनाओं की प्रबलता के आधार □र किसी अ□राधी अधिकारी के खिलाफ आरो□ स्था□ित करना और □रिणामस्वरू□ उसकी सेवाएं समाप्त करना संभव और सामान्य दोनों है। लेकिन सबूतों का वही सेट हमारे आ□राधिक कानून न्यायशास्त्र के तहत उसकी स्वतंत्रता छीनने के लिए □र्याप्त नहीं हो सकता है। दोनों में अंतर है, □ार्टियों के बीच शक्ति असंतुलन और एक गलत निर्णय की सामाजिक लागत को देखते हुए, नागरिक और आ□राधिक मुकदमेबाजी के बीच सबूत के मानकों के बीच इस तरह का अंतर जान बूझकर किया जाता है। इस प्रकार, एक अनुशासनात्मक जांच में, साक्ष्य के सख्त नियम और आ□राधिक मुकदमें की प्रक्रिया अनु□युक्त होती है, जैसे कि, कुछ मामलों में जांच अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयानों □र भरोसा किया जा सकता है।

35. इस प्रकार, अ□ीलकर्ता का यह तर्क कि उसे वर्तमान कार्यवाही में बरी कर दिया जाना चाहिए क्योंकि जांच के बाद सी.बी.आई. द्वारा कोई आ□राधिक आरो□ □त्र दायर नहीं किया गया था, खारिज किए जाने योग्य है। आ□राधिक कार्यवाही के □रिणाम की □रवाह किए

बिना, नियोक्ता हमेशा एक स्वतंत्र अनुशासनात्मक कार्यवाही संचालित करने का अधिकार रखता है। इसके इसके अलावा, दिनांक 07.03.2000 की सीबीआई रि□ोर्ट अ□ीलकर्ता के खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करती है। उक्त रि□ोर्ट प्रतिवादी के मामले को भी □ुष्ट करती है।

प्टण् सज़ा और उदारता की दलील

36. हमारी सुविचारित राय में, अ□ीलकर्ता का यह तर्क कि बर्खास्तगी की सजा भ्रष्टाचार के आरो□ के अनु□ात से अधिक थी, निराधार है। यह एक स्था□ित कानूनी प्रस्ताव है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण के □ास साबित अ□राध के लिए सजा देने में व्या□क विवेक है, जो निश्चित रू□ से आनु□ातिकता और निष□क्ष न्याय के सिद्धांतों के अधीन है। ऐसी आवश्यकताएं अनुच्छेद 14 से ही निकलती हैं, जो राज्य के अधिकारियों को अलग-अलग स्तर के दुष्कर्मों को एक ही व्या□क दृष्टिकोण से मानने से रोकती है। ऐसी आनु□ातिकता का निर्धारण न केवल अ□राधी के कार्य या इरादे का कार्य है, बल्कि इस तरह के कदाचार के वित्तीय प्रभाव और सामाजिक निहितार्थ को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आ□राधिक मामलों के वि□रीत, अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में अदालतें केवल आनु□ातिकता के आधार □र हस्तक्षे□ करती है।

37. इन दिशा-निर्देशों को मामले के तथ्यों □र लागू करने से, यह स□ष्ट है कि सेवा से बर्खास्तगी की सजा भ्रष्टाचार, कूटरचना और धमकी के आरो□ों से कहीं अधिक है, जो अ□ीलकर्ता के खिलाफ सर्वसम्मति से साबित हुए हैं। कोई अन्य दृष्टिकोण अ□नाना सेवा न्यायाशास्त्र के लिए अभिशा□ होगा। अगर हम मानते हैं कि व्यवस्थित भ्रष्टाचार और इसकी ज़बरदस्त आड़ सेवा से बर्खास्तगी को आकर्षित करने के लिए अ□र्याप्त है, तो ऐसे बड़े दंड देने के □ीछे का उद्देश्य, जो स□ष्ट रू□ से संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत प्रदान किया गया है, ख़त्म हो जाएगा।

38. इसके अलावा, अ□ीलकर्ता के कार्यों से संभवतः बी.□ी.सी.एल. को भारी नुकसान हुआ होगा और जनता के बीच सीआईएसएफ की प्रतिष्ठा कम हुई होगी। अ□ीलकर्ता के बल की अर्धसैनिक प्रकृति को देखते हुए, अखंडता, प्रतिबद्धता, अनुशासन की भावना और सौहार्द सर्वो□रि है। अ□ीलकर्ता के मामले में यह उम्मीद और भी बढ़ गई है, यह देखते हुए कि कैसे उसे विशेष रू□ से भ्रष्टाचार को खत्म करने और अचानक छा□ेमारी करने का काम सौं□ा गया था। एक बार धमकी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के कृत्यों से टूट गया। ऐसे में केवल कठोरतम जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

39. उ□रोक्त विवेचन के आलोक में, हमें इस अ□ील में कोई योग्यता नहीं मिली, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया गया है।

दिव्या □ांडे अ□ील खारिज